न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान सुखविन्द्र सिह बनाम सावित्री देवी आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 103 /2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
17.07.2023	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख संलग्न आया। उभयपक्ष को राजीनामा पर सुना गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 के धारा 251 'ए' आरटीएक्ट में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट की भूमि चक 13 सीडीआर के प. नं. 211/264 (22) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 0.13 है0 प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत किया तथा स्वीकृत किये गये रास्ते के मुआवजा स्वरूप डीएलसी की दोगुना राशि अदा किये जाने का आदेश पारित किया है। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। मुताबिक राजीनामा विचारण न्यायलाय द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ते के आदेश हेतु पक्षकारान सहमत है तथा रास्ते के एवज में मुआवजा रोबरू पंचायत प्राप्त किया जा चुका है तथा मुताबिक राजीनमा रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 3 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रास्ते में आई भूमि के एवज में जमा करवाई गई राशि रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 3 प्राप्त करने करने में सहमत है। इसी अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2022 में डीएलसी से दोगुना राशि के आदेश की हद तक अपास्त करवाकर मुआवजा राशि रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 3 को लौटाये जाने हेतु सहमति हुई है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के आदेश दिनांक 03.03.2022 को डीएलसी की दुगुनी दर से प्रतिकर देय होगा की हद तक आदेश को निरस्त किया जाता है तथा रास्ते के बदले में जमा की गई	

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

राशि को रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 3 को लौटाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी उक्तानुसार राशि रेस्पोडेण्ट सं0 2 विष्णुकुमार पुत्र दलीप कुमार व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 रामनिवास पुत्र दलीप कुमार को वापिस लौटाये। शेष अपीलाधीन निर्णय बाबत रास्ता स्वीकृति यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

12.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़